#### Form-I

(for linear project )

Government of Uttarakhand

Office of the District collector Garhwal

No. 398 | 40311610 (2170 42170) 2014-15

Dated : 04-02-2015

### TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In the compliance of the ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 0.155 hectares of forest land pressed to be diverted of Jumpin Adventure Pvt. Lmt. Company Mohan Chhati Dist. Pauri Garhwal with in jurisdiction of Bijnichhooti/ Jogiyana in Yamkeshwar tehsils.

It is further certified that:

- (a) The Complete process process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.155 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

Encl: As above

प्रमागीय बनाधिकारी लेन्सडीन वन प्रभाग

(Chandra Shekhar Bhatt) District Collector Garhwal

2.15

स्ति विकास

गुजात

FORM - 1

2.24

(for linear project)

Government of Uttarakhand

NO 398 | 903TETO (2010 42170) 2014-15

Dated 04-03-2015

### TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009, where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes, it is Certified that 0.002 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division Jumpin Adventure PVt. Lmtd. Company MohanCharti Distt- Pauri Garhwal, Uttarakhand for Construction of Bunjy Jump, Gaint Swing, flying fox in Mohan Chatti falls with in jurisdiction of kumartha Village in Yamkeshwar tehsils.

- (a) The Complete process for identification and settlement for rights under the FRA has been carried out for the entire 0.002 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Level Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- (b) The proposal for such diversion ( with full details of the project and its implications in vernacular/local language) have been placed before each Concerned Gram Sabha of forest-dwellers who are eligible under the FRA.
- (c) The each of Concerned Gram Sabha(s), has Certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their concent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the propose and details of proposed diversion. A copy of Certificate issued by the Gram Sabha of Kumartha Village is enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- (d) The discussion and dicisions of such proposals had taken pace only when their was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha Present.
- (e) The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their Conset to it.
- (f) The rights of primitive drival groups and Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA,.

Encl: As above

(Chandra Shekhar Bhatt)

District Collector Garhwal

dedica

# परियाजना का नाम :- जम्पद्म रोडनेन्ब्स पार्गिका मोहनवही क्राणिका

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

गाम पंचायत का नाम क्रिमार्थ) तहस निम्मानम्बर् जिला फोर्ट गत्वाल

द्वारा पत्र्याविर्तित करने हते आवदेन प्रस्ततु किया गया।
उक्त प्रक्ररण के विषय में ग्राम पंचायत — द्वारा दिनांक ! क्रिंश को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बठेक में प्रयाक्ता एजन्सी द्वारा आवदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हते विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रविधाना के तहत् आवदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गरे आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासिया द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गरे आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियाजना के निर्माण हते आवदित वन भूमि पर ग्रामवासिया के परम्परागत अधिकारा का हनन नहीं हा रहा है।

चर्चा के उपरान्त गाम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि गाम — अभारती के गामवासिया को उक्त र्वन भूमि जिन्म भूमि जिन्म भूमि प्रावेन भूमि प्र

पम्राणित किया जा सत्य एवं सही है।

गाम सचिव रिकाल अन्यस्कारा

नाहे: \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हा रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रप्नत्र में दिया जाय। उक्त प्रप्नत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयाक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम मान्यहरू चेडले से मा० स्टिक क्रम्पते। मा ध्रान हे कार्यालय उप जिलाधिकारी. यभन्ने पीड़ी जुड़वाला अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत नाम- क्रमाथा प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति. प्रान्धेबर उपखण्ड मान्ने १.परिक्षेत्र के अन्तर्गत भाम कुमावा .(.....हे० आरक्षित वन भूमि.....हे० सिविच एवं सोयम वन भूमि. कं २००२ हैं।
....हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल भिक्रिकार्ण...हे० वन भूमि)को .....
उभ्युद्धन चे भी लिस्भाप्रयोक्ता एजेन्सी कके पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी ,की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील एम् ००००) की कार्यवाही का की दिनांक 19-1-2015 को सम्पन्न बैटक अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डि॰ पी० सिंह अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है। 9. श्री. डी॰ पी॰ लिहे उपजिलाधिकारी प्रमुक्ष रवा २. श्री और १५कि २११र ...... उप प्रभागीय वनाधिकारी ... अपेटहारि.... सदस्य 🎏 ३. श्री नेपणले प्रहेषण अधिकारी कल्याण अधिकारी के ४. श्रीमती पुना देवी .....बी०डी०सी० क्षेत्र. शिक्षेष प्रमा उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उंप जिलाधिकारी की अनुमित बैटक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को ने अवगत कराया गया कि जम्माईन केटते वे प्रारम्भि माहित के कि प्रारम्भि के प्रारम्भिक के प् सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित

प्रस्ताव के आधार सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

पप्रत्र-23.2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी तिन्पुभि0) किर्यं द्वारा अनुसृचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनयम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा /पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

उत्पर्वे वर्ग वर्ग को २६१० उप प्रभागीय वनाधिकारी कोटहार उप वन प्रभाग कोटहार प्रतिलिपिः जिलाधिकारी.. आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

को सूचनार्थ एवं


उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील यभक्येयर जनपद पोरेडी अद्वाद्

प्रभागीय वनाधिकारी तैन्द्रडीन वन प्रमान

# दिनांक 10-10-14:का गाम सभा की सम्पन्न बठैक की उपस्थिति

# गाम पंचायत क्रुभारश्री

क्रमांक	गाम सभा में उपस्थित वरिष्ठ गामवासिया के नाम	्रहस्ताक्षर
al	नारदेव बिह प्रमाल	Friel
02	म्बिकेट हिंह निष्ट (उप महम्)	
03	sa RE fax	इन्सिन
04	मितेज हिंह निष्ट	
05	महिवत सिंह विक	महिषत सिट
06	निरेज सिंह अखरी	विरे दू हिर महारी
67	न्वाचीर रिह भन्दारी	विधावीद्भिष्ट
20	सुलोचना देवी (पूर्व पुरात)	सुलाचना वेवा
09	ENVINA RIE	हाराम्ल मह
10	जीला-देवी- (सक्स्य ग्रम पंचायता)	शाला देवी
11.	अगत जाव.	सजय लाल
19	after de	用的一
13	मिलिल राम कर बाल (यर्व प्रधान)	जातिन्दराभू
14	अन्य लेख	अज्य व्यात
		g . d. in -secondarios automorphism and a secondarios and a second



y 6019 To - 09

Just 10-10-14

THE SHOW SHOWS




### एप्रत्र<del>-23.1</del>

# दिनांक २०११ व्याप्न सभा की सम्पन्न बठैक की उपस्थिति

### गाम पंचायत जोगयाणा (क्लिमीदारी)

-		
कमांक	गाम सभा में उपस्थित वरिष्ठ गामवासिया के नाम	हस्ताक्षर
1-	Exturally E	ENTHUMELE
2	432014/148	स्रवनायिह
3	उन्ने वासिड	Makeshsings.
4	71514 1GE	Signey
5	E9/421014	देनार्छद्र प्राटी
6	स्थिति सिंह	LEISTO).
7	नगमीहन तिह	0-1512/150/16
8-	Tania Rise	8K.
6	(DZ+5)245	
16	A44101104	JULIONAE
11-	विलाबनागिर्द	नुला नगा। ११९
12-	I A of Fire	THE THE
(13)	ज्लाराराठ	अवाद ।सह
14-	301951.	3meg {
15.A	नीरे-द्र सिंह	Paillit
16-	सुरवयान सिंह	SBIST
17-	₹9-6 TE.	Comish
18-	जीर्या निष्ट	Fisher - 912
19.	अपा ६वा	— अथा (न



गप्रम प्रधान

דו דישון דושון

अंदर के प्रसाद काम नाम कि काल प्रसाद की काल की नाम कि काम का कि काम का कि काम का कि काम का कि काम काम कि काम कि काम काम कि काम कि काम कि काम कि काम कि काम कि काम काम कि काम कि

Carmery Sicone

परियोजना का नाम जन्यक्र शेंडवन्त्रस याठ लि अन्यनी साहन्त्री गुम - नाम्प्रा। (विजनी होटी) कार्यालय उप जिलाधिकारी. यामका वत् की कार्याल अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत जीग्यामा (कामीकार) उपखण्ड स्तरीय समिति. यम्भूष्टिवर पेन्ड गढ्टवाट्य उपखण्ड सम्भाष्ट्री, परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रिनिकी हों (....हैं आरक्षित वन भूमि...हैं सिविल एम् सोयम वन भूमि...हैं कि वन प्चायत भूमि, अर्थात कुल...हैं वन भूमि)को .... अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील प्रभक्रिकर् ..)की सम्पन्न बैटक की कार्यवाही दिनांक 19 -: 1: २०१५ को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम २००६ एवं नियम् २००८ ,के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .डी:प्री० सिंट ... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है। 9. श्री ूर्ने ० प्रीय रित हे उपजिलाधिकारी समकेश्रेव ( अध्यक्ष २. श्री और एस . ज्यावतं ..... उप प्रभागीय वनाधिकारी की कि. हि. .... सदस्य 🎉 ३. श्री राष्ट्रपादि प्रशृति सहायक समाज कल्याण अधिकारी के रहायक सिच्यू ४. श्री मारी उग्ने प्राप्ति होणी। बीठडीठसीठ क्षेत्र .. प्रिवृत्त ...... स्वर्णकाराण थ्वे॰ ख॰- यमवैश्वर (पाँडी गढवात) उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैटक में स्वागत करते हुए उप

स्ति प्रानि की उनिते के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित लिम्बत के आधार सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी विश्व भूगि किए होते. ह्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा /पंचायत ह्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ह्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैटक में सर्वसम्मित से उपखण्ड सिनिश्चित्र ....परिक्षेत्र के अर्न्तगत जिन्दि । 155 है । परियोजना के निर्माण हेतु ...............हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

ने क्या के स्टब्स्ट के हमारे के हमारे के हमारे के स्टब्स्ट के स्टब्स के स

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष ध्रम्यकेष्ट ग्रह्यात्री उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील शामकेष्ट्र प्रदेशात्री जनपद प्रीहित अधिकार समिति

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी... आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपिकारिकारी / अध्यक्षे एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समितिका तहसील अभिकार समितिका जनपद पोडिंग अव्यक्ष

#### प्रारूप अक्र

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT GARHWAL (UK)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006

A meeting of the district level committee of Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandra Shekhar Bhatt I.A.S dupty commissioner, Garhwal on dated \_\_\_\_\_\_ at Pauri in which application claiming rights in civil soyam ban bhumi measuring 0.157 Hect. For the construction of Jumpin Adventure pvt. Ltd company in Bijni Chhoti & Kumartha Mohanchatti Yamkeshwar Pauri Garhwal

Following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of yamkeshwar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After security of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence district level committee recommend the above case for renewal of land lease for jumpin adventure Pvt. Ltd. (Bunjy Jump, Gaint swing and flying fox) purpose

Place Pauri

Date......

(Chandra Shekhar Bhatt)

(Deputy Commissioner-Cum –Chairman District Level Committere

Pauri Garhwal)

वर्वाल

It is further certified that – Minutes of Meeting for renewal of civil soyam ban bhoomi (0.157 Hec.) in village Bijni Chhoti and kumartha for Bungy jump, giant swing and flying fox near mohanchatti FRA is as following

S.No.	and frying fox near monanchatti	
(a)	This 0.157 Hec. Civil soyam ban bhoomi was sanctioned on lease for 5 years to the jumpin adventure pvt. Ltd. Company by govt. of India letter no 8B/ycp/09/137/ FC/88 dated 23.10.2009 for construction of bungy jump Gaint swing and flying fox in village Bijni chotti and Kumartha near Mohanchatti. A copy of record on consultation and meeting of the forest right committee(s). sub Divisional Level committee are enclose3d as annexure 30.2	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers No objection certificate concerned villages regarding renewal of lease of 0.157 hec. Civil soyam ban Bhoomi for Jumpin Adventure Pvt. Ltd. Company Mohanchatti is attached
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal grops and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

जीता राणा मीता राणा सद्य जिला पंचायत

जीतर राजा

12 भादसी पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

जिला पंचायत सदस्य

म्मान कर्त्याण अधिकारी पौडी

क्षित्र पंचायत सदस्य : उर्मिता राजा सदस्य-बेत्र पंचायत स्त्रेटा यमकेत्रवर, पीड़ी गडवाल र्थे २६.२.।ऽ जिलाधिकारी प्रवास